

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 603 सन 2019

अनवान :-

1. बृजपाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भवरलाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
3. सरजीत सिंह पुत्र चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. सरोज पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
4. पूनम पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
5. लालचन्द पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
6. त्रिलोकचन्द पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
7. विद्या देवी पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
8. सरस्वती देवी पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
9. चिमनलाल पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
10. मोहरसिंह पुत्र चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
11. चन्द्रकला पुत्री चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
12. गुडडी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
13. सुमित्रा पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
14. आनन्द पुत्र ज्याना देवी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
15. संजु पुत्र ज्याना देवी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
16. कमलेश पुत्र ज्याना देवी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी


पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 बी बाराणी के खाता संख्या 5/4 के प0न0 251/382(28) किला न0 3/0.228 ,8/0.253 ,प0न0 250/383(36) किला न0 7/0.253 ,8/1 की 0.1770 ,13/0.253 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,व प0न0 251/384(46) किला न0 10/0.2530 ,प0न0 250/384(47) किला न0 3/.228 ,4/0.228 ,5/.228 ,6 ,7 ,8/0.759 , प0न0 0 मु0न0 66/12 किला न0 0/2 की 0.0250 हैक व मु0न0 66/21 किला न0 0/2 की 0.0260 हैक गै0मु0 रास्ता कुल 4.9350 हैक एवं रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 13/12 के खसरा न0. 61/1 की 0.759 हैक खसरा न0 68/1 की 0.6190 हैक कुल 1.3780 हैक एवं रोही मौजा कानस के खाता संख्या 45/22 के खसरा न0 376/0.7080 , खसरा न0 383/6 की 12.6460 हैक कुल 13.3540 हैक जो वादी के दादा ईशरराम पुत्र बुधराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के दादा ईशरराम पुत्र बुधराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की बहन प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 की बहन व प्रतिवादी संख्या 5 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 11 वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 10


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की बहन है व प्रतिवादी संख्या 9 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में किया हुआ है अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,7 ,8 ,11 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ता 6 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,6 ,9 ,10 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज ईशरराम पुत्र बुधराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,7 ,8 ,11 ता 16 ने निवेदन किया उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,6 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ,5 ,6 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 5/4 की कुल 4.9350 हैक् एवं रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3780 हैक् एवं रोही मौजा कानस के खाता संख्या 45/22 की कुल 13.3540 हैक् जो वादी के दादा ईशरराम पुत्र बुधराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के दादा ईशरराम पुत्र बुधराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की बहन प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 की बहन व प्रतिवादी संख्या 5 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 11 वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 10 की बहन है व प्रतिवादी संख्या 9 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में किया हुआ है अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,7 ,8 ,11 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ता 6 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 5/4 की कुल 4.9350 हैक एवं रोही मोजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 13/12 की कुल 1.3780 हैक एवं रोही मौजा कानस के खाता संख्या 45/22 की कुल 13.3540 हैक जो वादी के दादा ईशरराम पुत्र बुधराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


ईशरराम पुत्र बुधराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 है जो प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7, 8, 11 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है। वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7, 8, 11 ता 16 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6, 9, 10 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6, 9, 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7, 8, 11 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 5/4 की कुल 4.9350 हैक व रोही मोजा ढण्डेला के खाता संख्या 13/12 की 1.3780 हैक व रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 45/32 की कुल 13.3540 हैक जो ईशरराम पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5, 6 बहिब 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 9, 10 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बृजपाल पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भवरलाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
3. सरजीत सिंह पुत्र चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. सरोज पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
4. पूनम पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
5. लालचन्द पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
6. त्रिलोकचन्द पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
7. विद्या देवी पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
8. सरस्वती देवी पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
9. चिमनलाल पुत्र ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
10. मोहरसिंह पुत्र चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
11. चन्द्रकला पुत्री चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
12. गुडडी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
13. सुमित्रा पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
14. आनन्द पुत्र ज्याना देवी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
15. संजु पुत्र ज्याना देवी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
16. कमलेश पुत्र ज्याना देवी पुत्री ईशरराम जाति कुम्हार निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 603 सन 2019 निर्णय दिनांक- 12/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 5/4 की कुल 4.9350 हैक व रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 13/12 की 1.3780 हैक व रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 45/32 की कुल 13.3540 हैक जो ईशरराम पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5, 6 बहिब 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 9, 10 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)